अभियोजन के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कर्मचारियों को बिना किसी अपवाद के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। यह बात ध्यान में लाई गई है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार निलंबित एक शासकीय अधिकारी को जिसके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, विभाग द्वारा उसको निलंबन से बहाल कर एक संवेदनशील पद पर पदस्थ किया गया। शासन इस संबंध में निर्देशित करता है कि शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अथवा अनैतिकता विषयक ऐसे गम्भीर मामलों में विशेषतः जब वे न्यायालय में चल रहे हो, नियमों विनियमों में शिथिलता उचित नहीं समझी जानी चाहिए, तथा संवेदनशील पदों पर शंकास्पद पृष्ठभूमि के अधिकारियों की पदस्थापना न की जाए।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे और किसी भी प्रकार का शिथलीकरण न किया जावे।

आर. सी. श्रीवास्तव,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्र. 1031–ए/1456/88/49 (9) भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :—वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में संदिग्ध निष्ठा संबंधी टीप लिखने के संबंध में कार्यवाही।

मध्यप्रदेश जिला प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की गयी है कि यदि किसी अधिकारी की निष्ठा के संबंध में संदेह हो तो उसका वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखते समय इस संबंध में एक टीप लिखी जाना चाहिये। संदिग्ध निष्ठा के प्रकरणों में कार्यवाही किये जाने के संबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग–एक अनुक्रमांक 7 (आवश्यक उद्धरण संलग्न है) में प्रावधान है तथा इस विभाग के ज्ञापन क्र. 2357/1842/1/3/65, दिनांक 19 नवम्बर, 1965 (प्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया आयोग की अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

सहपत्र.—उपरोक्तानुसार।

आर. एल. वार्ष्णेय,
उप-सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग।

मध्यप्रदेश शासन — गोपनीय

सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्र. 2357/1842/1/3/65, — भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर, 1965

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।

विषय :—वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पत्रक में "संनिष्ठा का मूल्यांकन" स्तंभ का भरा जाना तथा संदिग्ध संनिष्ठा के मामले में आगे की जाने वाली कार्यवाही ।

भ्रष्टाचार निवारण के लिए निर्धारित समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की हैं :—

(1) प्रत्येक उच्च पदस्थ अधिकारी को, जिसके अधीन कई राजपत्रित अधिकारी सीधे काम करते हों, व्यक्तिगत रूप से यह जानने का प्रेयत्न करना चाहिए कि इन मातहत अधिकारियों की संनिष्ठा में संदेह करने का कोई कारण तो नहीं है । ऐसा करने से उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के और निकट सम्पर्क में आयेंगे तथा इससे कोई भी अधिकारी पथ-भ्रष्ट न हो पायेगा ।

(2) फिलहाल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रत्येक शासकीय सेवक की संनिष्ठा के संबंध में राय व्यक्त करने के लिये एक स्तंभ है । फिर भी विद्यमान प्रथा के अनुसार इस स्तंभ में प्रविष्टी करना उसके लिये संभव नहीं होता, क्योंकि यद्यपि उसके पास किसी मातहत की संनिष्ठा में संदेह करने के लिये पर्याप्त कारण होते हैं तथापि उसकी पुष्टि के लिये निश्चित प्रमाण नहीं होते । इसका नतीजा यह होता है कि उक्त स्तंभ में प्रविष्टी करते समय कुछ गोलमाल बात लिख दी जाती है । अतः यह सुझाव है कि जहां प्रतिवेदक अधिकारी किसी अधिकारी की संनिष्ठा के बारे में निश्चित रूप से कोई बात लिखने की स्थिति में न हो वहां उसे चाहिये कि उक्त स्तंभ में कोई प्रविष्टी न करें तथा उसे खाली छोड़ दें और यदि किसी अधिकारी संनिष्ठा के बारे में संदेह हो तो उसके कारणों का उल्लेख करते हुए अलग से एक गुप्त प्रतिवेदन भेजें । शासन या विभागाध्यक्ष को चाहिये कि ऐसे गुप्त प्रतिवेदन मिलने पर उसकी सत्यता या असत्यता का पता लगाने के लिये समुचित कदम उठाये ।

2. राज्य शासन इस मामले पर ध्यान पूर्ण विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में जहा किसी तरह के संदेश या शंका के कारण किसी शासकीय सेवक की संनिष्ठा के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव न हो वहां निम्नलिखित हिदायतों पर अमल किया जाए :—

(एक) पर्यवेक्षण अधिकारियों को एक गोपनीय डायरी रखनी चाहिये । उस डायरी में उसे समय-समय पर ऐसी घटनाओं का, जो मातहत अधिकारी की संनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करती हो, उल्लेख करना चाहिये तथा अपनी शंकाओं या संदेहों को जानने के लिये गुप्त रूप से विभागीय जांच द्वारा या मामले को विशेष पुलिस स्थापना के सुपुर्द करके शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये । वार्षिक प्रतिवेदन लिखते समय इस डायरी को देखना चाहिये तथा संनिष्ठा संबंधी स्तंभ में (संनिष्ठा संबंधी यह स्तंभ यदि किसी वर्तमान वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन चरित्रावली के फार्म में न हो तो ऐसे सब फार्मों में यह स्तंभ बढ़ाना पड़ेगा) प्रविष्टी करते समय इसकी सामग्री का उपयोग करना चाहिये । यदि इस स्तंभ में शंका की पुष्टि के अभाव में कोई प्रविष्टि न की जा सकी हो तो निम्नलिखित उप-कंडिकाओं के अनुसार आगे की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

(दो) चरित्रावली में संनिष्ठा संबंधी स्तंभ को खाली छोड़ दिया जाएं तथा साथ ही अधिकारी की संनिष्ठा के संदेहास्पद या शंकास्पद पक्ष पर अलग से एक गुप्त नोट लिखा जाए तथा इस संबंध में आगे कार्यवाही पर स्थान दिया जाये ।

(तीन) चरित्रावली के साथ गुप्त प्रतिवेदन ही एक प्रति ठीक ऊपर के अधिकारी को भी भेजी जाय जो यह देखे कि इस संबंध में कार्यवाही शीघ्रता से हो रही है या नहीं।

(चार) आगे की कार्यवाही के फलस्वरूप यदि कोई अधिकारी निर्दोष पाया जाय तो उसकी संनिष्ठा प्रमाणित की जानी चाहिये तथा चरित्रावली में प्रविष्टी की जानी चाहिए। यदि उसकी संनिष्ठा के बारे में संदेह की पुष्टि हो जाय तब भी उस आशय की प्रविष्टी करके संबंधित अधिकारी को इस की सूचना दी जाना चाहिये।

(पांच) ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जब कि प्रतिवेदक अधिकारी अपने तथा मातहत अधिकारी के प्रति निष्पक्ष रहते हुऐ भी न तो संनिष्ठा संबंधी प्रविष्टी कर सकता है और न प्रतिकूल प्रविष्टी ही, भले ही उसके पास ऐसी जानकारी हो जिसके आधार पर यह अलग से विभागाध्यक्ष को गुप्त प्रतिवेदन भेज सकता हो। ऐसी संभावना तब होती है जब कि मातहत अधिकारी किसी दूर के स्थान पर तैनात हो तथा प्रतिवेदक अधिकारी को निकट से उसका काम देखने का अवसर न मिला हो या जब कि ऐसे मातहत अधिकारी ने थोड़े समय के लिए ही वरिष्ठ अधिकारी के पास काम किया है या वह लंबी छुट्टी पर रहा हो, इत्यादि। ऐसे तमाम मामलों में प्रतिवेदक अधिकारी को संनिष्ठा संबंधी स्तम्भ में इस आशय की प्रविष्टी करना चाहिये कि उसे मातहत अधिकारी की संनिष्ठा परखने का अवसर नहीं मिला है। यह एक तथ्यात्मक कथन होगा जिस पर आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं होगी। किन्तु यह आवश्यक है कि वरिष्ठ अधिकारी को यथाशीघ्र अपने मातहत अधिकारी की संनिष्ठा के सम्बन्ध में अपनी निश्चित राय कायम करनी चाहिये ताकि वह निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति में हो सके।

(छः) कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें किसी अधिकारी की शंकास्पद या संदेहास्पद संनिष्ठा के सम्बन्ध में गुप्त प्रतिवेदन नोट लिखने के बाद जांच करने पर भी यह शंका या संदेह को दूर करने या उसकी पुष्टि के पर्याप्त प्रमाण न मिल सकें। ऐसे मामलों में सम्बन्धित अधिकारी के आचरण पर कुछ और समय तक दृष्टि रखी जानी चाहिये और इस बीच जहां तक सम्भव हो, उसे ऐसे पदों से जहां भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश हो, दूर रखा जाना चाहिए। इस तरह के अधिकारियों के साथ नीचे लिखे मामलों में किस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिये, यह खासतौर से विचारणीय है:—

(अ) सेवाकाल में वृद्धि/पुनर्नियुक्ति:—

यह एक ऐसी स्थिति है जिसे शासन केवल सार्वजनिक हित में अपनाता है और सेवाकाल में इन बातों को साधारणतया अपेक्षा नहीं की जाती। अतः शासन के लिये यह बात सर्वथा न्याययुक्त होगी यदि यह ऐसे व्यक्तियों को जिनकी संनिष्ठा संदिग्ध या संदेहास्पद हो, सेवाकाल में वृद्धि न दें या उनकी पुनर्नियुक्त को स्वीकृति न दें।

(आ) अनिवार्य सेवानिवृत्ति :—

वार्द्धक्य वर्ष 58 वर्ष होने के कारण कोई भी अधिकारी स्वाभाविक रूप से यह आशा कर सकता है कि वह 58 वर्ष की आयु तक शासकीय सेवा में रह सकेगा, बशर्ते कि उसकी संनिष्ठा के विरुद्ध कोई ठोस बात न हो, केवल शंका या संदेह के आधार पर ही किसी शासकीय सेवक को वार्द्धक्य वय पूर्व ही अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना निश्चय ही उपयुक्त नहीं है। किन्तु जब किसी शासकीय सेवक के सेवाकार्यों का पर्याप्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष मूल्यांकन करने की व्यवस्था हो तो सम्बन्धित व्यक्ति की संनिष्ठा के विषय में किसी भी शंका को लेखबद्ध करने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(इ) पदोन्नति:—

इस बात से कि किसी अधिकारी के बारे में किये गये गुप्त प्रतिवेदन नोट पर जांच चल रही है उसको पदोन्नति के अवसरों को तब तक कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जब तक कि सूचना के स्त्रोत या इस वक्त तक हुई जांच के फलस्वरूप यह निश्चय न हो गया हो शीघ्र ही उक्त अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच या न्यायालयीन कार्यवाही प्रारम्भ की जाने की सम्भावना है। यदि जांच से यह पता चले कि उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के पर्याप्त कारण हैं तो यह कार्यवाही बाद में भी की जा सकती है। यदि किसी अधिकारी की

सनिष्टा संतोषजनक न होने पर भी विभागीय कार्यवाही की जाना सम्भव प्रतीत न हो तो उसे अयोग्यता के आधार पर स्थानापन्न नियुक्ति के पद से पदावनत किया जा सकता है।

(ई) स्थायीकरण:—

स्थायीकरण पदोन्नति से सर्वथा भिन्न है। किसी ऐसे अधिकारी का स्थायीकरण, जिसकी संनिष्ठा के सम्बन्ध में विभागीय जांच या गोपनीय जांच चल रही हो, तब तक के लिये रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि उसके विरुद्ध जांच पूरी न हो जाय और यदि वह दोषमुक्त पाया जाय तो उसका स्थायीकरण किया जाना चाहिये तथा उसे वरिष्ठता सूची में उसका उचित स्थान दिया जाना चाहियें। परन्तु स्थायीकरण तभी रोका जाना चाहिये जबकि किसी अधिकारी की संनिष्ठा के विरुद्ध कोई विशिष्ट बात सिद्ध हो जाय न कि केवल ऐसी शंका या संदेह के आधार पर ही, जो कि विभागीय जांच पूरी होने के बाद भी कभी-कभी दूर नहीं होता।

3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 जो कि अलग से भेजे जा रहे हैं के नियम (1) (एक) तथा 3(2) (एक) में इस आशय का आवश्यक प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही पूर्णरूप से संनिष्ठ रहेगा तथा पर्यवेक्षकीय पद धारण करने वाले प्रत्येक शासकीय सेवक ऐसे समस्त शासकीय सेवकों को, जो कि उसके नियंत्रण तथा प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे हों, संनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता की सुनिश्चित करने हेतु समस्त संभव उपाय करेगा।

4. प्रत्येक विभाग से अनुरोध है कि वह इन हिदायतों को अपने प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले सभी संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करें ताकि वे इनका पालन करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता।—
(मो. ला. चोपड़ा)
उप-सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1—7 से लिए गये उद्धरण

निष्ठा का निर्धारण और संदिग्ध निष्ठा के मामलों में की जानेवाली कार्यवाही

9. (एक) पर्यवेक्षण अधिकारियों को एक गोपनीय डायरी रखनी चाहिये और उसमें समय-समय पर अधीनस्थ कर्मचारी की निष्ठा के संबंध में संदेह पैदा करने वाले दृष्टांत नोट किये जाने चाहिये तथा विभागीय तौर पर गोपनीय जांच-पड़ताल कर या राज्य सतर्कता आयोग की विशेष पुलिस स्थापना को मामला निर्दिष्ट कर ऐसे संदेह की सत्यता का पता लगाने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। इस डायरी को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय, विशेषत: उस समय देखा जाना चाहिए जबकि रिपोर्ट में शासकीय कर्मचारी की निष्ठा और ईमानदारी का उल्लेख किया जाना हो। यदि संदेह की पुष्टि न हो पाये तो निम्नानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए :—

(क) निष्ठा सम्बन्धी उल्लेख गोपनीय रिपोर्ट में नहीं किया जाना चाहिए किन्तु अधिकारियों की निष्ठा के सम्बन्ध में शक और संदेहों के बारे में एक पृथक गुप्त टीप लिखी जानी चाहिए और इस प्रकार की अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए।

(ख) इस गुप्त टीप की एक प्रति गोपनीय रिपोर्ट के साथ आसन्न वरिष्ठ अधिकारी के पास भेजी जानी चाहिए जो यह बात सुनिश्चित करेगा कि अनुवर्ती कार्यवाही यथाशीघ्र की जा रही है।

(ग) यदि अनुवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी दोषमुक्त कर दिया जावे, तो उसकी निष्ठा प्रमाणित की जानी चाहिये और इस आशय की एक प्रविष्टि गोपनीय रिपोर्ट में की जानी चाहिए। यदि उसकी निष्ठा के सम्बन्ध में सन्देह की पुष्टि हो जाय तो यह तथ्य भी लिखा जाना चाहिए और उसको सूचना यथाविधि सम्बन्धित अधिकारी को दी जानी चाहिए।

(दो) ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जबकि रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी स्वयं और उस अधिकारी के प्रति, जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखी गई हो, निष्पक्ष रहने की दृष्टि से न तो निष्ठा प्रमाणित कर पाये और न ही ऐसी जानकारी के होने पर भी जिसके आधार पर विभागाध्यक्ष को गुप्त रिपोर्ट दी जा सकती हो, कोई प्रतिकूल प्रविष्ट कर पाये। ऐसे अवसर तब आ सकते हैं, जबकि कोई अधिकारी किसी दूरस्थ स्थान में सेवा कर रहा हो और रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को उसके कार्य का निकट से पर्यवेक्षण करने का अवसर न मिला हो या जब इसने रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के अधीन बहुत कम अवधि तक कार्य किया हो या लंबी छुट्टी आदि पर रहा हो। ऐसे सभी मामलों में रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में इस आशय की प्रविष्टि करनी चाहिए कि अधिकारी की निष्ठा देखने का उसे अवसर नहीं मिला। यह आवश्यक है कि वरिष्ठ अधिकारी को यथाशीघ्र अपने अधीनस्थों, की निष्ठा के संबंध में सही-सही अनुमान लगाने का हर संभव प्रयास करना चाहिये ताकि वे निश्चित मत व्यक्त करने की स्थित में हो सकें।

(तीन) ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें अधिकारी की निष्ठा के सम्बन्ध में संदेह दर्शाने वाली गुप्त रिपोर्ट टीप लिखी जाने के बाद की जाने वाली जांच-पड़ताल में ऐसी पर्याप्त सामग्री न मिले, जिससे सन्देह का निवारण या पुष्टि हो जाय। ऐसे मामले में अधिकारी के आचरण पर कुछ समय तक नजर रखी जानी चाहिये और इस बीच यथा व्यवहार्य उसे ऐसी स्थिति में नहीं रखा लाना चाहिये, जहां कि उसे भ्रष्ट कार्य करने का अवसर मिल सके।

मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक सी-3-10/87/3/49 भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर, 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :--उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रक्रिया।

संदर्भ :--सा. प्र. वि. का परिपत्र क्र. सी-3-10/87/3/1 दि. 23-7-87.

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के लिये मापदण्डों के निर्धारण के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त खेल फेडरेशन अथवा संस्थाओं एवं अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं हेतु आयोजित किये जाने वाले उन 17 खेलों की सूची प्रसारित की गई थी जिनके तहत ही सम्बन्धित खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जा सकता है. राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त 17 खेलों की उक्त सूची में निम्नानुसार और खेल जोड़ने का निर्णय लिया गया है :--

1. महिला हाकी
2. महिला क्रिकेट
3. महिला कबड्डी